सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक-कु॰स॰426/2023 दिनाङ्कः 01.12.2022

कार्यालय-ज्ञाप

भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय ग्रंथ में निहित ज्ञान राशि को विशेषत: शिल्प शास्त्र एवं कला क्षेत्र के विषयों को समाज तक पहुचाने के लिए तथा विश्वविद्यालय हेतु पाठ्यक्रम एवं शोध सामग्री तैयार करने के लिए अप्रैल 2022 से सतत गतिमान है। जिस प्रकार इस केंद्र में शोध कार्य चल रहा है इसी के क्रम में अध्येता छात्रों को भी भारतीय ज्ञान परंपरा क्षेत्र में शोध की प्रवृत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से तीन मास के लिए 'प्रशिक्षु योजना' का आरंभ किया जा रहा है।

अर्ह अभ्यर्थी बेवसाइट www.ssvv.ac.in पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अधोलिखित क्यू आर कोड के माध्यम से आवेदन पूरित कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां-

आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	07/12/2023
चयनित सूची का प्रसारण	10/12/2023
कार्यारम्भ की तिथि	11/12/2023
प्रथम मास पाक्षिक प्रगति	25/12/2023
प्रथम मासिक कार्य समर्पण	10/01/2024
द्वितीय मास पाक्षिक प्रगति	25/01/2024
द्वितीय मासिक कार्य समर्पण	10/02/2024
तृतीय मास पाक्षिक प्रगति	25/02/2024
तृतीय मासिक कार्य समर्पण	10/03/2024

आवेदन भरने के लिए QR स्कैन करें अथवा लिंक स्पर्श करें

https://forms.gle/Mrnb6xtTE1eTDvNH6

संलग्नक - यथोक्त।

01-12-23

कुलसचिव

सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रो॰ हरि प्रसाद अधिकारी, समन्वयक, I.K.S केन्द्र।
3. डॉ॰ ज्ञानेन्द्र सापकोटा, प्रधान गवेषक, I.K.S केन्द्र।
4. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।
5. प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करायें।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
8. जनसम्पर्क अधिकारी को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
9. सम्बद्ध पत्रावली।

01-12-23

कुलसचिव

सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा 'प्रशिक्षु योजना'
आवश्यक-निर्देश

भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय ग्रंथ में निहित ज्ञान राशि को विशेषतः शिल्प शास्त्र एवं कला क्षेत्र के विषयों को समाज तक पहुचाने के लिए तथा विश्वविद्यालय हेतु पाठ्यक्रम एवं शोध सामग्री तैयार करने के लिए विगत 26/4/2022 से सतत गतिमान है। जिस प्रकार इस केंद्र में शोध कार्य अत्यंत प्रमाणिकता के साथ चल रहा है इसी के क्रम में अध्येता छात्रों को भी भारतीय ज्ञान परंपरा क्षेत्र में शोध की प्रवृत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से IKS द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार 'प्रशिक्षु योजना' का आरंभ किया जा रहा है।

योजना का नामकरण

इस योजना को 'प्रशिक्षु योजना भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी' के नाम से जाना जाएगा। जिसको इस पत्र में संक्षेप में 'प्रशिक्षु योजना' अथवा 'योजना' शब्द से भी व्यवहार किया जाएगा।

योजना के उद्देश्य

उक्त योजना के निम्नवत् उद्देश्य हैं-

- भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के द्वारा छात्रों को शैक्षणिक लाभ पहुंचाना
- भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय छात्रों को देना
- भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति छात्रों को जागरूक करना
- भारतीय ज्ञान राशि में शोध हेतु छात्रों को प्रेरित करना
- भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति छात्रों की रूचि बढ़ाना
- अध्येता छात्रों में शोध अभिवृत्ति का विकास करना
- भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र से छात्रों को संबद्ध करना

उपर्युक्त तथा अन्य आनुषंगिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 'प्रशिक्षु योजना भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी' का आरंभ किया जाएगा ।

प्रशिक्षु की अर्हता

- इस योजना में केवल शास्त्री/तत्समकक्ष, आचार्य/तत्समकक्ष और विद्यावारिधि में अध्ययन/शोधरत / अधीती छात्रों को अर्ह माना जाएगा।

- इसमें उन छात्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो किसी कक्षा विशेष में अध्ययन ना करते हुए गुरुकुल परंपरा से उच्च शिक्षा के समानान्तर पद पर अध्ययनरत हैं।

छात्रों को योजना से संबद्ध होने की प्रक्रिया

- योजना में भाग लेने के लिए अर्ह छात्र किसी अधोनिर्दिष्ट प्रशिक्षु-निर्देशक से संबद्ध होकर केन्द्र के प्रकृति के अनुसार शोध प्रस्ताव 1000 शब्द से अनधिक निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आनलाइन समर्पित करेंगे।
- उपलब्ध सभी आवेदन एवं शोध प्रस्तावों की समीक्षा करने के उपरांत दिनांक 10.12.2023 को चयनित प्रशिक्षुओ की सूची प्रसारित होगी।
- दिनांक 11.12.2023 से कार्यारम्भ होना सम्भावित है।

प्रशिक्षु-निर्देशकों की सूची

प्रशिक्षु निर्देशक का नाम	मोबाइल नंबर	ईमेल
डॉ॰ जयन्तपति त्रिपाठी	6392408630	jayantpati.tripathiguruji@gmail.com
डॉ॰ आशीष मणि त्रिपाठी	7860558021	tmaniashish976@gmail.com
श्री विवेक गोपाल साखी	9588489365	sakhi.vivek881997@gmail.com
श्री दवे अल्पेश पंकजभाई	8866674745	alpeshdave5556@gmail.com
डॉ॰ वेद प्रकाश गौतम	7999551309	vedgautam26@gmail.com

कार्य पद्धति

- स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर प्रत्येक मास का प्रशिक्षुओं को कार्य लक्ष्य दिया जयेगा तदनुसार छात्रों को कार्य करना होगा।
- निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय पर संतोषजनक स्थिति में पूर्ण करने वाले छात्रों को ही वृत्ति के विषय में विचार किया जा सकेगा
- यह योजना पूर्णत: कार्य सापेक्ष है अतः स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर छात्र एवं छात्र निर्देशकों के द्वारा वृत्ति का मांग नहीं किया जा सकेगा।
- कार्य के प्रति सजग ना रहने वाले तथा समय से कार्य पूर्ण न करने वाले एवं संतोषजनक कार्य न करने वाले छात्रों को जिस मास में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उसी मास से स्वतः बहिष्कृत माना जाएगा
- छात्रों के ज्ञान वृद्धि के लिए कुछ व्याख्यान कार्यक्रम विशेष शक्तियों द्वारा केंद्र की तरफ से आयोजित किए जाएंगे जिसमें छात्रों को भौतिक/ऑनलाइन रूप से उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा।
- भौतिक रूप से किसी भी छात्र की उपस्थिति अपेक्षित नहीं रहेगी परंतु प्रतिदिन के कार्य समीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रदत्त लिंक पर अपना कार्य विवरण निश्चित प्रस्तुत करना होगा। लगातार 7 दिनों तक यदि कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो छात्र को इस योजना से बहिष्कृत समझा जाएगा।
- 15 दिनों में कार्य की प्रगति विवरण न्यूनतम एक पेज में प्रस्तुत करना होगा जो कि निर्देशकों के माध्यम से प्रधान गवेषक को प्रेषित किया जायेगा।
- मास के समाप्ति में प्रत्येक शोध कार्य से संबंधित आलेख समर्पित किया जा सकेगा।
- शोध प्रस्ताव, प्रगति विवरण तथा शोध कार्य केवल संस्कृत में ही स्वीकृत किया जाएगा।
- निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी भी रूप में शोध आलेख स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

- प्रशिक्षुओं को मासान्त में प्रधान गवेषक के द्वारा कार्य संपुष्टि के पश्चात रू॰ 5000 निश्चित प्रशिक्षुवृत्ति प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षु की संख्या

प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रशिक्षुओं की अधिकतम संख्या 20 रहेगी।

समन्वयक समिति प्रस्ताव का मूल्यांकन के पश्चात इस संख्या को न्यून एवं अधिक कर सकती है।

(मेन्टर मेन्टी) प्रशिक्षु एवं निर्देशक सम्बन्ध

सामान्यतया छात्र के द्वारा चयनित मेंटर (जो की आवेदन के प्रारूप में ही निविष्ट होगा) ही उसका निर्देशन करेगा तथापि प्रधान गवेषक के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि कभी भी किसी भी मेंटर को छात्र आवंटित करे।

उपर्युक्त तथा अन्य सभी नियम भारतीय ज्ञान परम्परा प्रभाग के निर्देश के अनुरूप परिवर्तित एवं परिवर्धित किए जा सकते हैं।